मनमानी : एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद भी शहर में लगी अवैध होर्डिंग और फ्लैक्स

प्रशासन के सख्त निर्देश और कार्यवाही के बाद भी शहर में कई जगह आउटडोर मीडिया अधिनियम 2017 का खुलेआम उल्लंघन कर लगे हैं फ्लैक्स -बैनर , साईन बोर्ड और होर्डिंग

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी ।एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद भी शहर में मनमानी तरीके से अवैध होर्डिंग और फ्लैक्स लगी है। प्रशासन के सख्त निर्देश और कार्यवाही के बाद भी शहर में कई जगह आउटडोर मीडिया अधिनियम 2017 का खुलेआम उल्लंघन कर फ्लैक्स -बैनर , साईन बोर्ड और होर्डिंग लगे हैं।

गौरतलब है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास, जिला-सीधी (म.प्र.) द्वारा तत्संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को अन्तर्गत धारा-152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश क्रमांक 184 / एस.डी.एम./2025 जारी किया गया था। आदेश में कहा गया था कि कतिपय माध्यमों से मेरे संज्ञान में आया है कि सीधी शहर अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय सम्पत्तियों पर बिना किसी सक्षम अनुमति एवं विधि विरुद्ध तरीके से व्यक्तियों, संस्थाओं एवं अन्य के द्वारा फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग लगाया जाकर सार्वजनिक सडक मार्ग अवरोध कारित कर न्यूसेंस फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आने-जाने वाले आम जनमानस को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड रहा है। साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सीधी द्वारा कलेक्टर सीधी को संबोधित पत्र पृ. क्रमांक 5424/ राजस्व/न.पा./2025 सीधी दिनांक 18.12.2025 के अनुसार यूनिक एडवरटाइजिंग रीवा द्वारा म.प्र.आउटडोर मीडिया अधिनियम 2017 द्वारा जारी गाईड लाईन व नगरपालिका सीधी के साथ किये गये अनुबंध शर्त का उल्लंघन करते हुए मुख्य मार्गो में नगरपालिका के सामने , कलेक्ट्रेट चौक एवं मानस भवन के समीप स्थित यूनीपोल अत्यधिक समीप व कम ऊचाई में लगाये गये है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना व जनमानस को क्षति होना संभावित है। उक्त के दृष्टिगत पर्याप्त आधार है, ऐसे न्यूसेंस को हटाने की कार्यवाही की जाय। उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास जिला सीधी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-152 के तहत यह निर्देश दिए थे कि समस्त व्यक्ति, संस्थाएं एवं अन्य सभी जिनके द्वारा सीधी शहर अन्तर्गत अनाधिकृत एवं विधि विरुद्ध रुप से फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग लगाये गये है, को दिनांक 26/12/25 के पूर्व हटाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रशासन समस्त वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश की तामीली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-153 (2) में विहित रीति अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार गोपद बनास को निर्देशित किया गया था ।

नपा से बिना अनुमति के लगे हैं फ्लैक्स, होर्डिंग और साईन बोर्ड - शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर पालिका परिषद सीधी की बिना अनुमति के फ्लैक्स, होर्डिंग और साईन बोर्ड लगाये गये हैं। अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग और साईन बोर्ड बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसी वजह से अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग और साईन बोर्ड को हटाने की मांग शहरवासियों द्वारा की जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि इनको पूरी तरह से हटाने की बजाय दबाव बढ़ने पर औपचारिकता निभाई जाती है। अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग और साईन बोर्ड लगने से शासन को लाखों की राजस्व चपत लग चुकी है। फिर भी जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए है।

शासकीय भवनों और घरों में अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग

प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र प्रताप मार्बल नवीन बस स्टैण्ड तिराहे के पास, गुलाब टावर के पहले सिंगरौली रोड पडैनिया , लालता चौक मड़रिया बायपास तिराहे सहित सम्राट चौक से कोतवाली मार्ग एवं मुख्य सड़कों के किनारे स्थित शासकीय भवनों, घरों -दुकानों एवं निजी भूमि में अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग लगे हैं। नगर पालिका का संबंधित अमला इन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने की बजाय चुप्पी साधे हुए है। ऐसा आभाष होता है कि अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग सीधी शहर में पूरी तरह से वैध हो चुके हैं। तेज अंधड़ के दौरान ऐसे अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग यदि कभी बड़े हादसे का शबब बनें तो उस दौरान जिम्मेदार छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने में पीछे नही रहेंगे।

हाईकोर्ट से सिर्फ यूनिक एडवटाइजिंग ने लिया है स्थगन

सीधी शहरी क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से लगी होर्डिंग्स के मामले में सिर्फ यूनिक एडवर्टाइजिंग ने हाईकोर्ट से स्थगन लिया है। उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यूपी नं. 50374/ 2025 यूनिक एडवर्टाइजिंग बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में कहा गया है कि बिना कोई नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना, 18.12.2025 को विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसका आधार यह है कि कलेक्टर ने आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस पर याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर संबंधितों को नोटिस जारी किया है।

इनका कहना है

मेरे यहां से अवैध होर्डिंग्स एवं फ्लैक्स को हटाने के संबंध में जारी आदेश पर क्या कार्रवाई की गई तत्संबंध में नगर पालिका सीएमओ से कल ही जानकारी लूंगा। इस मामले में हाईकोर्ट से स्थगन की बात भी सामने आई है। सीएमओ से चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।

राकेश शुक्ला,
एसडीएम गोपद बनास

विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आवश्यक : विश्वामित्र

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। बच्चों के शैक्षिक, मानसिक विकास, अच्छे स्वस्थ एवं सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों में अनुशासन एवं आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। उक्त आशय के विचार क्षेत्रीय विधायक विश्वामित्र पाठक ने विधानसभा क्षेत्र सिहावल में विभिन्न विद्यालयों में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रमो में व्यक्त किए। 3 फरवरी को विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत गोल्डन स्टार एकेडमी हाई स्कूल बहरी, प्रतिभा पब्लिक स्कूल चंदवाही एवं पब्लिक स्कूल बम्हना सरई में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक विश्वामित्र पाठक के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए। कार्यक्रमों में विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा स्वागत गीत, नृत्य एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। जिसे उपस्थित जानो द्वारा खूब सराहा गया। कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों को अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर सुलभ होता है। मुख्य अतिथि ने शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार सभी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतर कार्य कर रही है जिससे शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाण्डेय, डॉ. अजय मिश्रा, टीआई राजेश पाण्डेय, योगेंद्र नाथ पाठक, प्रदीप कुमार तिवारी प्रधानाध्यापक, मनोज तिवारी संचालक, डॉ. राजकरण शुक्ला, कुंझन पाठक, संतोष पाठक, गुंजेश्वरी गुप्ता, रितेश गुप्ता, सुभाकर द्विवेदी, नवीन सिंह संचालक अमन कॉन्वेंट हाई स्कूल बहरी, जनपद सदस्य सम्पूर्ण सिंह, गोविन्द प्रसाद गौतम, संचालक वसंत पाण्डेय, प्रधानाध्यापक पंकज पाण्डेय, रितेश गुप्ता, राजेंद्र शेखर पाण्डेय, बालेंद्र धर द्विवेदी, अरविंद्र पाण्डेय सहित विद्यालय के शिक्षक गण, छात्र-छात्राएं, अविभावक गण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

कक्षा-9 से 12 के विद्यार्थियों का पांच दिवसीय कैरियर मेला

तीन शासकीय विद्यालयों में कैरियर मेला आयोजित

नवभारत न्यूज

मझौली 4 फरवरी। शासन द्वारा समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया जा रहा है।

जिसका का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं कौशल आधारित कैरियर विकल्पों, कैरियर योजना, भविष्य की तैयारी तथा शासकीय सेवाओं से संबंधित अवसरों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। जिसको लेकर इस वर्ष 27 से 31 जनवरी 2026 तक कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों हेतु पांच दिवसीय कैरियर मेला आयोजित किया गया। जनजातीय शा.उ.मा.वि उमरिया कुसमी में 31 जनवरी 2026 को समारोह विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार बैस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जहां बच्चों को करियर काउंसलिंग आयोजन से अवगत कराते हुए वाद-संवाद स्थापित कर कैरियर काउंसलिंग से संबंधित फीडबैक तैयार करा जमा कराए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य अशोक कुमार बैस ने भी अपने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। आयोजन को सफल बनाने सत्र को व्यवस्थित और उद्देश्य पूर्ण बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले शिक्षक एलबी सिंह, शिक्षक लाला बैगा, नारद मणि रजक, अल्का भुर्तिया, सरिता मेहर, आराधना गुप्ता, राजेंद्र कुमार गुप्ता आदि का विशेष योगदान रहा।

सांदीपनि विद्यालय मझौली में कैरियर काउंसलिंग संपन्न-शासन द्वारा समस्त शाउमावि में विगत 3 वर्षों से करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसका का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं कौशल आधारित कैरियर विकल्पों, कैरियर योजना, भविष्य की तैयारी तथा शासकीय सेवाओं से संबंधित अवसरों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। जहां बच्चों को करियर काउंसलिंग आयोजन से अवगत कराते हुए वाद-संवाद स्थापित कर करियर काउंसलिंग से संबंधित फीडबैक तैयार कर जमा कराए गए तथा विषय समूह संबंधित पोस्टर कार्ड छात्र-छात्राओं को वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्राचार्य राकेश मिश्रा द्वारा कहा गया कि बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें कठिन परिश्रम ही सफलता दिलाता है।

कार्यक्रम की रूपरेखा

27 जनवरी : कार्यक्रम का उद्घाटन, कैरियर जागरूकता कार्यक्रम, कैरियर मेला एवं काउंसलिंग का परिचय, विभिन्न शैक्षणिक संकायों की जानकारी तथा स्थानीय उद्योगों एवं संस्थानों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। 28 जनवरी : कौशल एवं व्यावसायिक विकल्पों की जानकारी, कौशल शिक्षा के प्रति जागरूकता, कौशल आधारित पाठ्यक्रमों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर सत्र आयोजित किए गए। साथ ही स्थानीय उद्योगपति/ उद्यमी से संवाद किया गया। 29 जनवरी : शासकीय सेवाओं एवं उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी, शासकीय सेवाओं के अवसर, विश्वविद्यालय एवं छात्रवृत्तियों पर मार्गदर्शन तथा शासकीय अधिकारियों/विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित हुए। 30 जनवरी : यूनिसेफ के पदाधिकारियों द्वारा यू-ट्यूब लाइव माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद, करियर काड्र्स की जानकारी, जीवन कौशल, कैरियर योजना एवं भविष्य की तैयारी तथा संकाय आधारित परीक्षाओं की जानकारी दी गई। 31 जनवरी : भविष्य की मांग वाले कैरियर विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा चर्चा, विद्यार्थियों से फीडबैक संग्रह, कार्यक्रम का समापन एवं आभार प्रदर्शन किया गया।

बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षा 2026 के सफल एवं सुचारु संचालन को लेकर क्रमांक-2 सीधी में जिले के सभी 66 परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष की जिला स्तरीय बैठक एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एपीसी रमसा डॉ. सुजीत कुमार मिश्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारियां, परीक्षा संचालन के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य, परीक्षा समाप्ति के बाद की प्रक्रियाएं, केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य, कलेक्टर प्रतिनिधि हेतु ट्रैकिंग मोबाइल ऐप के उपयोग, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं, बैठक एवं पर्यवेक्षक व्यवस्था, परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र की जांच एवं भवन में प्रवेश प्रक्रिया सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने से प्रश्न पत्र के लिफाफे प्राप्त करने की प्रक्रिया, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक उपलब्ध कराने की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन एवं परीक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक निर्देशों से भी सभी प्राचार्यों को अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं।

अवयस्क अभियोक्त्री से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

▸ विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सीधी ने सुनाया फैसला

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। अवयस्क अभियोक्त्री से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्टत सीधी के द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताया गया कि 5 अक्टूबर 2023 को अभियोक्त्री द्वारा लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी बहरी के नाम अस्पताल पुलिस चौकी सीधी में दिया गया कि 5 अक्टूबर 2023 को उसके पेट में दर्द हो रहा था तब उसने अपनी मां से उक्त बात बतायी कि उसकी माहवारी अप्रैल माह से नहीं हो रही है। उसके पेट में दर्द है तब उसकी मां ने कहा कि चलो डाक्टर को दिखा देते हैं। तब डाक्टर द्वारा बोला गया कि वह 7 माह की गर्भवती है। उसने अपनी मां के द्वारा पूछने पर बताया था कि होली के पहले जब वह बड़ी मम्मी के घर पूजा करने जा रही थी तो रास्ते में उसे रात करीब 7-8 बजे महुआ के पेड़ के नीचे आरोपी मुंशिया उर्फ गिरधारी कोल मिला और उससे लिपट कर उसका मुंह दबाकर उसे जमीन में पटक कर जबरदस्ती उसके गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण अभियोक्त्री ने घटना के बारे में किसी को नहीं बतायी थी। उक्त पर से अस्पताल चौकी सीधी में जीरो पर अपराध क्र.0103/2023 अंतर्गत धारा 376, 376(3), 506 एवं धारा 5(जे)(आईआई)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दर्ज की गई। अभियोक्त्री का धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन कराया गया। पश्चात में थाना बहरी को उक्त डायरी असल नंबर पर कायमी हेतु प्राप्त होने पर थाना बहरी द्वारा असल अपराध क्र. 518/2023 में पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक एससी/49/2023 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मुंसिया कोल उर्फ गिरधारी कोल पिता रामलाल कोल उर्फ बेटऊ कोल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नकझर खुर्द थाना बहरी जिला सीधी मप्र को धारा 376(3) भादवि एवं धारा 5(जे)(आईआई)/6 पॉक्सो एक्टल में कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले अधिवक्ता हुए सम्मानित

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। जिला अधिवक्ता संघ सीधी के निर्वाचित पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार गौतम सचिव, नीरज मिश्र कार्यकारिणी सदस्य, विद्या कांत मिश्र कार्यकारिणी सदस्य एवं भरत भूषण पाराशर पुस्तकाध्यक्ष के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ सीधी के अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से व्यथित होकर एवं बहुसंख्यक अधिवक्ता साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अध्यक्ष द्वारा नीजि तौर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता उदय कमल मिश्र के द्वारा अध्यक्ष द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले निर्वाचित पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार गौतम, नीरज मिश्र, विद्याकांत मिश्र एवं भरत भूषण पाराशर को जिला न्यायालय सीधी के परिसर में स्थित चेंबर में आमंत्रित कर शाल एवं पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया गया।

तेज बहादुर सिंह का 93 वर्ष की उम्र मे निधन

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। सेवानिवृत्त पटवारी व मझौली ब्लॉक के खड़ौरा गांव के निवासी व युवक कांग्रेस मझौली के ब्लॉक उपाध्यक्ष कनक सिंह के बाबा तेजबहादुर सिंह का 93 वर्ष की उम्र मे दु:खद निधन हो गया वो अपने पीछे 2 पुत्र 4 पुत्रियां सहित नाती पोतों से भरा पूरा परिवार छोड़कर सदा सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए।

निधन की खबर लगते ही धौहनी अंचल मे शोक की लहर छा गयी। उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह द्वारा दाह संस्कार किया गया। धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिला पंचायत सदस्य कृष्णलाल पयासी, जनपद अध्यक्ष कुसमी श्यामबती सिंह, जनपद अध्यक्ष मझौली सुनैना सिंह सहित अन्य लोगो ने दुख जताते हुए शोक संवेदना प्रकट किये हैं।

संकल्प समाधान अभियान के तहत मबई में शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

चुरहट 4 फरवरी। चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मबई में सोमवार को संकल्प समाधान अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम पंचायत भवन में नोडल अधिकारी आदित्य पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अभियान के दौरान ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं जैसे वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड एवं बिजली की बिल सम्बल कार्ड बीपीएल अन्य जनसमस्याओं पर सुनवाई की गई तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मवई हल्का पटवारी राकेश मिश्रा, सरपंच प्रभात सिंह राजन, सचिव बालक दास साकेत, रोजगार सहायक मनोज साहू, स्वछता ग्राही दिनेश सोधिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मोटे अनाज हैं पोषण का भण्डार, सीधी जिले में बढ़ावा देने के प्रयास तेज

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। देश भर में संचालित मिलेट्स मिशन के अंतर्गत सीधी जिले में भी कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जिले में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन कराया गया है तथा कोदौ, ज्वार, मक्का सहित अन्य मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मोटे अनाज पोषण का समृद्ध स्रोत हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन एवं विभिन्न खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं तथा आसानी से पचने वाले होते हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही परंपरागत खेती की विधियों से उगाए जाने के कारण ये मिट्टी के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। विंध्य क्षेत्र सहित सीधी जिले में लगभग 50 वर्ष पूर्व तक मोटे अनाजों की बड़े पैमाने पर खेती होती थी और कोदौ, ज्वार, मक्का जैसे अनाज मेहनतकश एवं ग्रामीण परिवारों के मुख्य भोजन का हिस्सा थे। कम वर्षा में भी इनकी अच्छी पैदावार होती थी तथा इन्हें बिना किसी रसायन के कई वर्षों तक सुरक्षित भंडारित किया जा सकता था। खेती के आधुनिकीकरण एवं अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग के कारण समय के साथ मोटे अनाजों की खेती में कमी आई, हालांकि इनकी पोषकता आज भी अन्य अनाजों की तुलना में अधिक मानी जाती है।

6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा : रीती

सीधी विधायक ने 250 लाख की लागत से ग्राम पंचायत सिरसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का किया शिलान्यास

नवभारत न्यूज

सीधी 4 फरवरी। जिले के ग्राम पंचायत सिरसी में 250 लाख रूपये की लागत से बनने वाले 6-विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के उन्नयन एवं निर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए आमजन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर नए अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिरसी में बनने वाला यह 6-विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को समय पर उपचार मिलेगा और गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा गंभीर मरीजों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ होगी। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी ग्रामीण को इलाज के लिए अनावश्यक रूप से दूर शहरों का रुख न करना पड़े, बल्कि उसे अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। विधायक श्रीमती पाठक ने आगे कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रोजगार जैसे मूलभूत क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें, स्वच्छता एवं पोषण के प्रति जागरूक रहें तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपने परिवार और समाज को स्वस्थ एवं सशक्त बनाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा और हर जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम में जनपद सदस्य दीपक पनिका, सरपंच छोटेलाल प्रजापति, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. बबिता खरे, विश्वबंधु धर द्विवेदी, पुनीत नारायण शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने की बात कही, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

CMYK